

नं. 1/159/19

तारीख रजू.....

क्षेत्रीय न्याय देवी बनाम जागदीश २/११/०

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
३१.८.१९	<p>वकील कादी उपस्थित । यह दावा कादी के वकील श्री रामजीलाल शर्मा एडवोकेट के द्वारा किया । कालिदास रिपोर्ट की गई। दस्तावेज पंजीकृत हो भ्रष्टाचार जमाने सम्बन्ध सम्बन्ध तदनुसार पत्रावली दिनांक 15.10.19 को भेजा है।</p> <p>Sook</p>	
15/10/19	<p>वकील कादी उपस्थित । साधिक आदेश दिनांक ३१.८.१९ को पालना में पत्रावली जाते लालदी दिनांक 12/12/19 को भेजा है (A जाँची)</p> <p>(8)</p> <p>उपखण्ड अफिसर कठूमर (अलवर)</p>	782 22/10/19
12/12	<p>वकील कादी उपस्थित। उन्हे कादी संख्या 1,2 व 3 वाचनूद तदनुसार उपस्थित नहीं उनके खिलाफ एड पत्रावली कार्यवाही अग्रस जाते जाती है पत्रावली वालते शे पत्रावली तदनुसार दिनांक 27.1.20 को भेजा है।</p> <p>Sook</p>	
27.2.20	<p>वकील कादी उपस्थित । साधिक आदेश दिनांक 12.12.19 को पालना में पत्रावली जाते शेण ही तदनुसार दिनांक 16/4/20 को भेजा है।</p> <p>(8)</p> <p>उपखण्ड अफिसर कठूमर (अलवर)</p>	

नम्बर व तारीख हुक्म म जो नील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------------------	------------------------------------	---

1/11/22

पत्रावली Pg 67 कैम्प कोर्ट में पेश हुई
 पक्षकारान.....
 नहीं होने के कारण प्रकरण का निरतारण नहीं हो सका। अतः
 पत्रावली दिनांक 18/12/22 को न्यायालय हाजरा में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
 कटमर (अलवर)

11-2-22

पत्रावली दिनांक 12/12/19
 न्यायालय में पत्रावली जाते 21/12/19
 दिनांक 19/4/22 को पेश हो

उपस्थित
 अधिकारी
 कटमर (अलवर)

19/4/22

पत्रावली दिनांक 20/4/22
 को पेश हो

20/4/22

पत्रावली दिनांक 13/6/22 को पेश हो

उपस्थित
 अधिकारी
 कटमर (अलवर)

13/6/22

पत्रावली दिनांक 22/8/22 को पेश हो

22/8/22

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण उपरोक्त पक्षों को अपने
 पक्ष को जोर पलाना नहीं चाहिए है। उन्होंने अपने
 पक्ष को NOA PERS को दिया है। अतः दाया पक्ष
 को NOA PERS में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली में जो NOA PERS है वह नष्ट हो चुकी
 पक्ष को जोर पलाना नहीं चाहिए है। अतः दाया पक्ष को
 खारिज किया जाता है।

Mufpress

उपखण्ड अधिकारी
 कटमर (अलवर)